1	2	3	4	5
17.	नागालैण्ड	444 41	169.27	336.00
18.	उड़ीसा	3617.55	3669.36	3191.85
19.	पंजाब	574.85	944.12	568.40
20.	राजस्थान	4023.02	7703.66	4792.92
21.	सिक्किम	271.36	494.73	344.40
22.	तमिलनाडु	2979.98	1773.69	2841.04
23.	त्रिपुरा	502.44	1326.30	407.40
24.	उत्तर प्रदेश	6680.87	9742.99	5421.51
25.	पश्चिम बंगाल	2409.15	2740.31	1504.80
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	293.16	120.00	350.00
27.	चंडीगढ़	163.92	30.00	प्राप्त नहीं
28.	दादर और नगर हवेली	110.11	93.54	118.83
29.	दिल्ली	176.36	17.00	14.00
30.	दमन और द्वीव	18.75	100.00	199.50
31.	लक्षद्वीप	3.03	8.50	11.20
32.	पांडिचेरी	38.62	88.57	35.00
	योग	53895.60**	75198.96	52382.79*

* इसमें जवाहर रोजगार योजना की 96.00 करोड़ रुपये की निधियां शामिल नहीं है। राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड का 115 करोड़ रुपये का बजट भी शामिल नहीं है। बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र सं० 16 के लिए कुल अनन्तिम परिव्यय 735.00 करोड़ रुपए है।

** बजट में राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड को दिए गए 36 करोड़ रूपए शामिल नहीं है। जिन्हें राज्यवार आबंटित नहीं किया गया है।

प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए तंत्र

1754. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक बहि:स्रावों को प्रदूषण रहित बनाने की प्रक्रिया को विनियमित करने और उस पर निगरानी रखने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी औद्योगिक बहि:स्रावों को नदियों और समुद्र में छोड़ने से पूर्व उपचारित किया जायेगा और उन्हें पूर्णतया प्रदूषण रहित बनाया जाएगा, केन्द्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर कोई तंत्र बनाया गया है; यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है :

(ख) इस तंत्र द्वारा मध्य प्रदेश में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

(ग) मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अभी भी किन-किन स्थानों पर इस प्रकार की समस्या बनी हुई है; और

(घ) बिलासपुर के कोरबा क्षेत्र रायपुर क्षेत्रों में तथा दुर्ग जिले में जल और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बड़ी और मझौली श्रेणी के उद्योगों से होने वाले उत्सर्जनों और बहिस्रावों की निगरानी करता है । राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनों को लागू करते हैं कि ये इकाइयां निर्धारित मानकों का अधिसूचित समय के भीतर अनुपालन करें ।

(ख) मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए फैक्टरियों का नियमित रूप से निरीक्षण करता है, उद्योगों से निकलने वाले बहिस्रावों और उत्सर्जनों तथा परिवेशी वायु गुणवत्ता के स्तर की निगरानी करता है ।

(ग) मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जिन-जिन स्थानों पर प्रदूषण की समस्या मौजूद है उनमें मुख्य है बिलासपुर जिले में कोरबा तथा दुर्ग जिले में भिलाई-दुर्ग क्षेत्र ।

(घ) एक कोरबा कार्य-योजना शुरू की गई है । छत्तीसगढ़ क्षेत्र से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले अधिकांश उद्योगों ने अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के बारे में केन्द्रीय बोर्ड द्वारा जारी किये गए निदेशों के अनुसार या तो प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगा लिए है अथवा लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्थित दो मद्यनिर्माण शालाओं ने अपने बहिस्रावों के शोधन के लिए मिथेन रिकवरी सिस्टम स्थापित कर लिए हैं इसी प्रकार अकाल तारा संयंत्र को छोड़कर इस क्षेत्र के सभी सीमेंट संयंत्रों ने प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण लगा लिए हैं । अकाल तारा इकाई में भी प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण लगाने का कार्य प्रगति पर है । मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड (पूर्व) बाल्कों के कैप्टिव बिजली संयंत्र में प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण लगाने का कार्य प्रगति पर है जबकि भारत एल्यूमीनियम संयंत्र (बाल्कों), मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड (पश्चिमी) राष्ट्रीय ताप बिजली निगम कोरबा तथा आई० बी० पी० कोरबा ने प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण लगा लिए हैं । बोर्ड इस क्षेत्र के उद्योगों से होने वाले प्रदूषण पर नियमित निगरानी और निरीक्षण के जरिए कड़ी निगरानी रखे हुए है। बिलासपुर रायपुर और जगदलपुर में क्षेत्रीय कार्यालय तथा कोरबा और भिलाई में उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं ।

Falling of trees in Darjeeliug Hills

1755. SHRI RATNA BAHADUR RAJ : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :—

(as whether Government are aware about the massive falling of trees in Darjeeliug Hills in the roadside of Hill Cart Road; and

(b) if so, the details of preventive measures taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA) : (a) There are no large scale falling of trees in the road side of Hill Cart Road in Darjeeling Hills. However, stray cases of fallings are not denied.

(b) Government has taken following preventive measures to protect Himalayan Region :

(i.) Strict implementation of Forest (Conservation) Act, 1980 and amendments;

(ii) Promulgation of West Bengal Forest (Establishment and Regulaion of Saw Mills and other Wood-Based Industries) Rules, 1982 for exercising stricter control on saw mills;

(iii)The Indian Forest Act (West Bengal Amendment, 1988), 1927, providing for stringent messures;.